This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 03 अक्तूबर, 2025 / 11 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 29 सितम्बर, 2025

संख्याः गृह(ए)ए(1)26 / 2023.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उप–धारा (1) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में वर्णित गांवों से मिलकर (सम्मिलित करके) पुलिस थाना परवाणु, जिला सोलन की स्थानीय सीमाओं के भीतर पुलिस चौकी जाबली की स्थापना करते हैं, अर्थात् :––

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम
1	2	3
1.	जाबली	1. नौहन 2. पनिहार 3. शेवलॉं 4. नौहन धाला 5. शेरला 6. कराडी 7. राजपुरी 8. ओगली 9. मांझ 10. मंझेड 11. रानीगांव 12. जाबली 13. सूजी चारजा 14. सूजी लुहारा 15. चिंचियां 16. भाट 17. गाही 18. बॉंदडी 19. डीब 20. कोट 21. लंशाह 22. राजडी 23. शमराल
2.	नाभकोटी	1. कुटाहाघाट 2. ठाणा 3. सरी 4. हडली 5. रौडी 6. केशका 7. पगैत 8. शमलोग 9. गैल सरी 10. गैल कोटी 11. खील 12. थड़ 13. कोटी 14. धमयाणा

		15. चमगाह 16. कुराडग 17. काटली 18. तम्बू मोड 19. चक्की मोड 20. दत्यार 21. बनोग 22. शोग 23. देली 24. गलोई 25. पटियाणा 26. पथराई 27. नाम्भ चावला

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)26/2023, dated 29-09-2025 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 29th September, 2025

No. Home(A)A(1)26/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to establish a Police Post Jabli within local limits of the Police Station Parwanoo, District Solan, consisting of the Villages enumerated in column No. (3) of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2
1	2	3
1.	Jabli	1. Nahon 2. Panihar 3. Shewla 4. Nahon Dhala 5. Sherla

		6. Karaadi 7. Rajpuri 8. Ogli 9. Maanjh 10. Manjhed 11. Rani Gaon 12. Jabli 13. Sujji Charja 14. Sujji Luhra 15. Chinchiya 16. Bhat 17. Ghaai 18. Bandri 19. Deeb 20. Kot 21. Lanshah 22. Rajri 23. Shamral
2.	Nabhkoti	1. Kuthaghat 2. Thana 3. Sari 4. Hadli 5. Rauri 6. Keshka 7. Paget 8. Shamlog 9. Gail Sari 10. Gail Koti 11. Kheel 12. Thad 13. Koti 14. Dhamyana 15. Chamgah 16. Kuradag 17. Katli 18. Tambu Mod 19. Chakki Mod 20. Datyar 21. Banog 22. Shog 23. Delli 24. Galoi 25. Patiyan 26. Pathrai 27. Nambh Chawla

By order,

Addl.Chief Secretary (Home).

—————

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला–171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154,

Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated the 1st October, 2025

No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I- 3834.—Whereas the State Election Commission had procured the database of the electors from the Election Commission of India with 01-04-2025 as qualifying date and this data was made available on Electoral Rolls Management System (ERMS) software ;

And whereas this Commission *vide* its letter of even No. dated 1st August, 2025 had fixed a schedule for mapping of Polling Stations, Sections, Electors, generating the preview copy of the draft Electoral Roll, Convening of special meeting of Gram Sabha/Municipal Bodies/Stake holders for perusal of the preview copy of the draft electoral rolls and now the draft electoral rolls have been prepared;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India, Section 160 of the HP Panchayati Raj Act, 1994, Section 281 of the HP Municipal Act, 1994 and Section 9 of the HP Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 12 of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, Rule 14 of HP Municipal Election Rules, 2015 and Rule 14 of the HP Municipal Corporation Election Rules, 2012 do hereby issues the following schedule for preparation of electoral rolls in the State :—

1.	Publication of electoral rolls in draft	06-10-2025
2.	Period for lodging claims and objections before the Revising Authority.	08-10-2025 to 17-10-2025
3.	Period for deciding claims and objections by the Revising Authority.	Within ten days from the filing of claims and objections *i.e.* up to **27-10-25.**
4.	Period for filing appeals before the Appellate Authority.	Within seven days from the order passed by the Revising Authority *i.e.* upto **03-11-25.**
5.	Period for deciding appeals by the Appellate Authority.	Within seven days from the filing of appeal *i.e.* up to **10-11-25.**
6.	Final publication of Electoral Rolls	On or before **13th November, 2025.**

Further the State Election Commission **hereby notifies the 1st October, 2025 as qualifying date** to determine the eligibility of an elector for registration in the electoral roll as required under Rule 14(e) of the HP Panchayati Raj Election Rules, 1994, Rule 17 (a) of the H.P. Municipal Election Rules, 2015 and 16 (e) of the HP Municipal Corporation Election Rules, 2012.

The Claims and Objections will have to be filed by the person individually or sent by registered post or by a person authorised by him in writing in this behalf. **No claims/objections**

shall be received in bulk from an individual, however claims and objections of family members may be received from an individual. Thereafter, claims/objections/appeals shall be disposed of in accordance with provisions enshrined under relevant statutes. After the disposal of claims/objections and appeals the District Election Officer (Panchayat)/Electoral Registration Officer as the case may be, shall cause the Draft Electoral Rolls to be corrected through ERMS software in accordance with the orders passed by the Revising/Appellate Authorities.

Thereafter, the District Election Officer (Panchayats)/Electoral Registration Officer as the case may be, shall issue notice of final publication of Electoral Rolls as per programme notified by the Commission. **The finally published electoral rolls shall be uploaded on the official website of the Commission and District concerned. This programme shall not be applicable to those Gram Panchayats and Urban Local Bodies wherein delimitation of wards has not been finally published.**

As soon as the notice of final publication is issued by the District Election Officer (P)/ Electoral Registration Officer, as the case may be, the intimation of the same may be sent to the Commission immediately through E-mail followed by confirmation by post. Thereafter the final electoral roll **shall be sent in soft copy to the Printer designated by the Controller of Printing and Stationery Department to get Twenty copies of the electoral roll** printed in respect of each ward/polling station **except Municipal Corporation Shimla and Development Block Keylong District Lahaul-Spiti**. Details of Printer identified by the Printing and Stationery Department shall be shared in due course of time. The soft copy of finalized electoral roll should be kept in the record alongwith one hard copy duly authenticated by the District Election Officer (P)/ Electoral Registration Officer as the case may be.

The relevant provisions of Rules ibid and directions issued by the Commission for preparation of the said electoral rolls shall be followed strictly. The prescribed time limit is the essence of the schedule, therefore inviolable and must be adhered to, failing which may follow serious consequences.

Kindly acknowledge receipt and pay personal attention.

By order
(ANIL KUMAR KHACHI)
State Election Commissioner (H.P.).

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला–09, दिनांक 01 अक्तूबर, 2025

सं0: पीसीएच–एचए (3)4 / 07–I / 700547.——इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पीसीएच–एचए (3)4 / 07–I/ 685502 / 2025, दिनांक 06–09–2025 में अंकित ग्राम सभा का नाम **"मनेई खास"** के स्थान पर **"मनेई"** पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन मुकद्दमा नम्बर : 16/NT/23

तहसील परागपुर

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 2. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 3. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह समस्त वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 61, खतौनी नं0 75, खसरा कित्ता 10, रकबा 00—26—14 है0 वाक्या महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन मुकद्दमा नम्बर : 19/NT/23

तहसील परागपुर

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. उत्तम चंद पुत्र जसवंत सिंह, 5. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 6. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 7. सावित्री देवी पत्नी जसवंत सिंह समस्त वासीगण महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 139, 140, 141, 142, 143, खसरा कित्ता 68, रकबा 01—21—61 है0 वाक्या महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार सम्मन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार

राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन

मुकद्दमा नम्बर : 20/NT / 22

तहसील परागपुर

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 5. रवि पुत्र राम बरोसा, 6. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 7. गन्दर्व पुत्र शेर सिंह, 8. गोवर्धन पुत्र शेर सिंह, 9. सूरज पुत्र शेर सिंह, 10. निशा पुत्री शेर सिंह, 11. रचना पत्नी शेर सिंह, 12. ज्ञान चंद पुत्र मुंशी राम, 13. देविन्दर पुत्र मुंशी राम, 14. सुन्नी पुत्र राम प्रकाश, 15. रेनू देवी पुत्री राम प्रकाश, 16. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 17. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 18. सरोज देवी पत्नी राम प्रकाश, 19. रशपाल पुत्र वाबू राम, 20. सत्या देवी पुत्री किहरू, 21. कलन देवी पुत्री किहरू, 22. जमना देवी पुत्री किहरू, 23. विजय कुमार पुत्र किहरू, 24. त्रिशला देवी पुत्री किहरू, 25. राजेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 26. मुकेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 27. सुनीता देवी पत्नी धर्म सिंह, 28. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 29. स्वर्ण कुमार पुत्र किरपू, 30. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह, 31. विजय कुमार पुत्र निक्कू समस्त वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 33, खतौनी नं0 153 ता 160, खसरा कित्ता 8, रकबा 00—54—29 है0 वाक्या महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन मुकद्दमा नम्बर : 21/NT / 23

तहसील परागपुर :

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 2. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 3. ओंकार सिंह पुत्र केहर चंद, 4. ओंकारी देवी पुत्री केहर चंद, 5. निर्मला देवी पुत्री केहर चंद, 6. कुसम लता पुत्री सुरिन्दर सिंह, 7. निर्मला देवी पत्नी सुरिन्दर सिंह, 8. उत्तम चन्द पुत्र जसवंत सिंह, 9. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 10. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 11. सावित्री पत्नी जसवंत सिंह, समस्त वासीगण महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 19, खतौनी नं0 112, 113, 114, खसरा कित्ता 54, रकबा 01—78—09 है0 वाक्या महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन मुकद्दमा नम्बर : 18/NT / 23

तहसील परागपुर तारीख पेशी : 24—10—2025

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. ओंकार सिंह पुत्र केहर चंद, 5. ओंकारी देवी पुत्री केहर चंद, 6. निर्मला देवी पुत्री केहर चंद, 7. कुसम लता पुत्री सुरिन्दर सिंह, 8. निर्मला देवी पत्नी सुरिन्दर सिंह, 9. उत्तम चंद पुत्र जसवंत सिंह, 10. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 11. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 12. सावित्री देवी पुत्री जसवंत सिंह, 13. मनजीत सिंह पुत्र रोशन लाल, 14. अभिषेक पुत्र राजिंदर सिंह, 15. शिल्पा देवी पुत्री राजिंदर सिंह, 16. सुषमा देवी पत्नी राजिंदर

सिंह, 17. रेनू बाला पुत्री रणधीर सिंह, 18. सोनिया देवी पुत्री रणधीर सिंह, 19. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 20. रवि पुत्र राम भरोसा, 21. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 22. गन्धर्व पुत्र शेर सिंह, 23. गोवेर्धन पुत्र शेर सिंह, 24. सूरज पुत्र शेर सिंह, 25. निशा पुत्री शेर सिंह, 26. रचना देवी पत्नी शेर सिंह, 27. बलवन्त सिंह पुत्र राम दयाल, 28. सुरेश चंद पुत्र राम दयाल, 29. कविता पुत्री कश्मीर सिंह, 30. चौंकी देवी पत्नी कश्मीर सिंह, 31. ज्ञान चन्द पुत्र मुंशी राम, 32. देविन्दर सिंह पुत्र मुंशी राम, 33. सीता राम पुत्र श्यामा, 34. प्रीतम सिंह पुत्र परस राम, 35. सुभाष चंद पुत्र परस राम, 36. अशोक कुमार पुत्र परस राम, 37. आशा देवी पत्नी परस राम, 38. सुनिल कुमार पुत्र गुरदेव सिंह, 39. सतपाल पुत्र हुकम चंद, 40. प्रदीप सिंह पुत्र जगदीश चंद, 41. संजीव कुमार पुत्र जगदीश चंद, 42. मंजीत सिंह पुत्र जगदीश चंद, 43. सुनिल कुमार पुत्र जगदीश चंद, 44. कुलदीप सिंह पुत्र जगदीश चंद, 45. सलोचना देवी पत्नी जगदीश चंद, 46. भूपिन्द्र सिंह पुत्र होशियार सिंह, 47. राजेंदर सिंह पुत्र होशियार सिंह, 48. कमला देवी पत्नी होशियार सिंह, 49. हर्ष राणा पुत्र मस्तान सिंह, 50. कार्तिक पुत्र मस्तान सिंह, 51. उषा रानी पत्नी मस्तान सिंह, 52. सनी पुत्र राम प्रकाश, 53. रेन देवी पुत्री राम प्रकाश, 54. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 55. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 56. सरोज कुमारी पत्नी राम प्रकाश, 57. रशपाल पुत्र वावू राम, 58. अशोक कुमार पुत्र वावू राम, 59. शक्ति देवी पुत्री वावू राम, 60. रचना देवी पुत्री वावू राम, 61. विजय देवी पुत्री वावू राम, 62. विजय कुमार पुत्र किहरू, 63. त्रिशाला देवी पत्नी किहरू, 64. राजेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 65. मुकेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 66. सुनीता देवी पत्नी पुत्र धर्म सिंह, 67. तिलक राज पुत्र वावू राम, 68. राजपाल पुत्र वावू राम 69. संतोष कुमारी पुत्री वावू राम, 70. सनेहलता पुत्री वावू राम, 71. कुसम लता पुत्री वावू राम, 72. शीला देवी पत्नी वावू राम, 73. मलकीत सिंह पुत्र भाग सिंह, 74. देव राज पुत्र भाग सिंह, 75. सरोज कुमारी पत्नी भाग सिंह, 76. शंकरी देवी पुत्री अमी चंद, 77. होशियारी देवी पुत्री अमी चन्द, 78. अवतार सिंह पुत्र अजुध्या देवी, 79. सेवा सिंह पुत्र अजुध्या देवी, 80. राजू पुत्र अजुध्या देवी, 81. कृष्ण चंद पुत्र जमित सिंह, 82. सरदारा सिंह पुत्र जमित सिंह, 83. उर्मिला देवी उपनाम तारा देवी पुत्री सुन्का, 84. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 85. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह, 86. बिशम्बर दस् पुत्र सोहनु, 87. राजिन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, 88. विजय कुमार पुत्र निक्कू, 89. राज कुमार पुत्र राम प्रकाश, 90. रमेश कुमार पुत्र राम प्रकाश समस्त वासीगण महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 226 ता 229, खसरा कित्ता 10, रकबा 01—16—22 है0 वाक्या महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश की है कि इन्हें इश्तहार राजपत्र द्वारा तलव किया जावे गुजारिश मन्जूर की जाती है। अतः अब उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन — मुकद्दमा नम्बर : 13/NT / 23

तहसील परागपुर : — तारीख पेशी : 24—10—2025

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. सत्या देवी पुत्री जल्हू, 5. ओंकार सिंह पुत्र केहर चंद, 6. ओंकारी देवी पुत्री केहर चंद, 7. निर्मला देवी पुत्री केहर चंद, 8. कुसम लता पुत्री सुरिन्दर सिंह, 9. निर्मला देवी पत्नी सुरिन्दर सिंह, 10. उत्तम चंद पुत्र जसवंत सिंह, 11. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 12. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 13. सावित्री देवी पुत्री जसवंत सिंह, 14. मनजीत सिंह पुत्र रोशन लाल, 15. अभिषेक पुत्र राजिंदर सिंह, 16. शिल्पा देवी पुत्री राजिंदर सिंह, 17. सुषमा देवी पत्नी राजिंदर सिंह, 18. रेनू बाला पुत्री रणधीर सिंह, 19. सोनिया देवी पुत्री रणधीर सिंह, 20. ठाकरी देवी पुत्री जंगी, 21. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 22. रवि पुत्र राम भरोसा, 23. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 24. गन्धर्व पुत्र शेर सिंह, 25. गोवेर्धन पुत्र शेर सिंह, 26. सूरज पुत्र शेर सिंह, 27. निशा पुत्री शेर सिंह, 28. रचना देवी पत्नी शेर सिंह, 29. दलीप सिंह पुत्र किरपा, 30. गोहरी देवी पुत्री किरपा, 31. बलवन्त सिंह पुत्र राम दयाल, 32. कश्मीर सिंह पुत्र राम दयाल, 33. ज्ञान चन्द पुत्र मुंशी राम, 34. देविन्दर सिंह पुत्र मुंशी राम, 35. सीता राम पुत्र श्यामा, 36. सनी पुत्र राम प्रकाश, 37. रेनू देवी पुत्री राम प्रकाश, 38. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 39. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 40. सरोज कुमारी पत्नी राम प्रकाश, 41. रशपाल पुत्र वावू राम, 42. अशोक कुमार पुत्र वावू राम, 43. शक्ति देवी पुत्री वावू राम, 44. रचना देवी पुत्री वावू राम, 45. विजय देवी पुत्री वावू राम, 46. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह समस्त वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 72, खतौनी नं0 97, खसरा कित्ता 3, रकबा 00—23—22 है0 वाक्या महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश की है कि इन्हें इश्तहार राजपत्र द्वारा तलव किया जावे गुजारिश मन्जूर की जाती है। अतः अब उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, उप—तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन — मुकद्दमा नम्बर : 15/NT / 23

तहसील परागपुर — तारीख पेशी : 24—10—2025

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. सत्या देवी पुत्री जल्हू, 5. मनजीत सिंह पुत्र ओंकार सिंह, 6. अमित कुमार पुत्र ओंकार सिंह, 7. उत्तम चंद

पुत्र जसवंत सिंह, 8. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 9. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 10. सावित्री देवी पुत्री जसवंत सिंह, 11. मनजीत सिंह पुत्र रोशन लाल, 12. अभिषेक पुत्र राजिंदर सिंह, 13. शिल्पा देवी पुत्री राजिंदर सिंह, 14. सुषमा देवी पत्नी राजिंदर सिंह, 15. रेनू बाला पुत्री रणधीर सिंह, 16. सोनिया देवी पुत्री रणधीर सिंह, 17. ठाकरी देवी पुत्री जंगी, 18. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 19. रवि पुत्र राम भरोसा, 20. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 21. गन्धर्व पुत्र शेर सिंह, 22. गोवेर्धन पुत्र शेर सिंह, 23. सूरज पुत्र शेर सिंह, 24. निशा पुत्री शेर सिंह, 25. रचना देवी पत्नी शेर सिंह, 26. दलीप सिंह पुत्र किरपा, 27. गोहरी देवी पुत्री किरपा, 28. बलवन्त सिंह पुत्र राम दयाल, 29. सुरेश कुमार पुत्र राम दयाल, 30. कश्मीर सिंह पुत्र राम दयाल, 31. ज्ञान चन्द पुत्र मुंशी राम, 32. देविन्दर सिंह पुत्र मुंशी राम, 33. सीता राम पुत्र श्यामा, 34. सनी पुत्र राम प्रकाश, 35. रेनू देवी पुत्री राम प्रकाश, 36. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 37. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 38. सरोज कुमारी पत्नी राम प्रकाश, 39. रशपाल पुत्र वावू राम, 40. अशोक कुमार पुत्र वावू राम, 41. शक्ति देवी पुत्री वावू राम, 42. रचना देवी पुत्री वावू राम, 43. विजय देवी पुत्री वावू राम, 44. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह समस्त वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 70, खतौनी नं0 94, खसरा नं0 748, रकबा 00—11—88 है0 वाक्या महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण ने गुजारिश की है कि इन्हें इश्तहार राजपत्र द्वारा तलव किया जावे गुजारिश मन्जूर की जाती है। अतः अब उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन

मुकद्दमा नम्बर : 10/NT/23

तहसील परागपुर

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. देस राज पुत्र सुरती समस्त वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 62, खतौनी नं0 76, खसरा 739, 762, 766, 770, कित्ता 4, रकबा 00—13—03 है0 वाक्या महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार

राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, उप—तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन मुकद्दमा नम्बर : 22/NT / 23

तहसील परागपुर

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, 2. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 3. डिम्पल राणा पुत्र रमेश चंद, 4. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 5. रवि पुत्र राम बरोसा, 6. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 7. गन्दर्व पुत्र शेर सिंह, 8. गोवर्धन पुत्र शेर सिंह, 9. सूरज पुत्र शेर सिंह, 10. निशा पुत्री शेर सिंह, 11. रचना पत्नी शेर सिंह, 12. ज्ञान चंद पुत्र मुंशी राम, 13. देविन्दर पुत्र मुंशी राम, 14. सीता राम पुत्र श्यामा, 15. सुन्नी पुत्र राम प्रकाश, 16. रेनू देवी पुत्री राम प्रकाश, 17. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 18. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 19. सरोज देवी पत्नी राम प्रकाश, 20. रशपाल पुत्र वाबू राम, 21. सत्या देवी पुत्री किहरू, 22. कलन देवी पुत्री किहरू, 23. जमना देवी पुत्री किहरू, 24. विजय कुमार पुत्र किहरू, 25. त्रिशला देवी पत्नी किहरू, 26. राजेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 27. मुकेश कुमार पुत्र धर्म सिंह, 28. सुनीता देवी पत्नी धर्म सिंह, 29. स्वर्ण कुमार पुत्र किरपू, 30. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह समस्त वासीगण महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प0, 31. विजय कुमार पुत्र निक्कू वासी महाल जटोली चकरान, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़।

विषय.—भूमि खाता नं0 32, खतौनी नं0 152 खसरा नं0 1194, रकबा 00—03—92 है0 वाक्या महाल मन्याला बुहला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश अनुसार इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली पेशी दिनांक 24—10—2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81441/2025 तारीख पेशी : 14—10—2025

भूटू पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव कोहलड़ी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी भूटू पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव कोहलड़ी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं मय कौंसिल प्रार्थी उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल कोहलड़ी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम भोटू दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम भूटू दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग—अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भूटू उपनाम भोटू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14—10—2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी भूटू पुत्र हरी सिंह, निवासी गांव कोहलड़ी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल कोहलडी के राजस्व अभिलेख में उपनाम भूटू भोटू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81447/2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

राजमल पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव भरमदयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम।

प्रार्थी राजमल पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव भरमदयारा, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 26–06–1974 को हुआ है परन्तु जानकारी न होने / अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–10–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राजमल पुत्र श्री चमारू राम, निवासी गांव भरमदयारा, डाकघर थिल की जन्म तिथि 26–06–1974 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81448 / 2025 तारीख पेशी : 28–10–2025

महिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रसील सिंह, निवासी गांव अघार, डाकघर अलूहा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम।

प्रार्थी महिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रसील सिंह, निवासी गांव अघार, डाकघर अलूहा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 07–05–2002 को गांव अघार में हुई है, परन्तु जानकारी न होने / अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत अलूहा के अभिलेख में उसकी माता श्रीमती व्यासां देवी पत्नी रसील सिंह की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत अलूहा के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–10–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी महिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रसील सिंह, निवासी गांव अघार, डाकघर अलूहा की माता श्रीमती व्यासां देवी पत्नी रसील सिंह की मृत्यु तिथि 07–05–2002 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत अलूहा के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81449 / 2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

नीतू कुमारी पत्नी श्री वलवीर सिंह, निवासी गांव भटवाल, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया नीतू कुमारी पत्नी श्री वलवीर सिंह, निवासी महाल भटवाल, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटवाल, मौजा खरयाना, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती सलोचना देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, अन्य प्रमाण—पत्रों में उसका नाम नीतू कुमारी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग—अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नीतू कुमारी उपनाम श्रीमती सलोचना देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28—10—2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया नीतू कुमारी पत्नी श्री वलवीर सिंह, निवासी महाल भटवाल के राजस्व अभिलेख में नीतू कुमारी उपनाम श्रीमती सलोचना देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 70 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 07—10—2025

सुरिन्द्र कुमार पुत्र प्रेम चन्द, गांव खालटा, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

सुरिन्द्र कुमार पुत्र प्रेम चन्द, गांव खालटा, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्फिया ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी दादी श्रीमती अजुध्या देवी पत्नी स्व0 श्री पूर्ण चन्द, गांव खालटा, डाकघर संघोल की मृत्यु दिनांक 18—04—2024 को गांव खालटा, डाकघर संघोल, ग्राम पंचायत संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत संघोल के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत संघोल को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती अजुध्या देवी पत्नी स्व0 श्री पूर्ण चन्द, गांव खालटा, डाकघर संघोल की मृत्यु तिथि 18—04—2024 के मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07—10—2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव संघोल को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23—08—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्मा नं0 : 29 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्मा : शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 07—10—2025

1. सरोज कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह, गांव वेहड़ू, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

2. स्व0 श्री जसवन्त सिंह पुत्र गोरख सिंह, गांव व डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.—— प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सरोज कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह, गांव वेहडू, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 27–02–1978 को स्व0 श्री जसवन्त सिंह पुत्र गोरख सिंह, गांव व डाकघर द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत द्रमण में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 07–10–2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव द्रमण को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 40 / तह0 / 2024 किस्म मुकद्मा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 07–10–2025

जय राम पुत्र रिझू राम, गांव गुजरेहड़ा, डाकघर झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

विषय.––मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

जय राम पुत्र रिझू राम, गांव गुजरेहड़ा, डाकघर झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया कि मेरी पुत्री सुमना देवी का जन्म दिनांक 28–03–1979 को गांव गुजरेहड़ा, डाकघर झंमूह, ग्राम पंचायत वड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत वड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सुमना देवी पुत्री श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जय राम, गांव गुजरेहड़ा, डाकघर झुमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 28–03–1979 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07–10–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त

जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार ग्राम पंचायत सचिव वड़ को जारी कर दिए जावेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02—09—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81444 / 2025 तारीख पेशी : 17—10—2025

श्रीमती सुदर्शना कुमारी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी गांव गलोटी, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया सुदर्शना कुमारी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी गांव गलोटी, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल गलोटी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सुदर्शना दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार नकल व दसवीं कक्षा के प्रमाण—पत्र में उसका नाम सुदर्शना कुमारी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग—अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुदर्शना कुमारी उपनाम सुदर्शना देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17—10—2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया सुदर्शना कुमार पत्नी हरनाम सिंह, निवासी गांव गलोटी, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल गलोटी के राजस्व अभिलेख में सुदर्शना कुमारी उपनाम सुदर्शना देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81445 / C/NT/2025 तारीख पेशी : 17–10–2025

रजिन्द्र कुमार राणा पुत्र ओम प्रकाश, निवासी महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी रजिन्द्र कुमार राणा पुत्र ओम प्रकाश, निवासी महाल अघार, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल मतेहड व भटवाल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम रजिन्द्र कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण–पत्र में उसका नाम रजिन्द्र कुमार राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रजिन्द्र कुमार राणा उपनाम रजिन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–10–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी रजिन्द्र कुमार राणा पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी महाल अघार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल मतेहड व भटवाल के राजस्व अभिलेख में रजिन्द्र कुमार राणा उपनाम रजिन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 81446 / 2025 तारीख पेशी : 17–10–2025

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी महाल लाहड्डू, डाकघर बारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी महाल लाहड्डू, डाकघर बारी कंला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त बारकलां के राजस्व महाल लाहड व नरघोटा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम संजय कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसका नाम संजीव कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित बारकलां के राजस्व महाल लाहड व नरघोटा, तहसील खुण्डिया के अभिलेख में उसका नाम संजीव कुमार उपनाम संजय कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–10–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी महाल लाहड्डू, डाकघर बारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त बारकलां के महाल लाहड व नरघोटा, तहसील खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
47 / RNT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	16–10–2025

ब्रहमी देवी विधवा पुन्नु राम, गांव बोहरका व डाकघर भाली, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया ब्रहमी देवी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार, जन्म व मृत्यु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 24–02–1940 दर्शाई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत भाली में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत

उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ब्रहमी देवी विधवा पुन्नु राम, गांव बोहरका व डाकघर भाली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाली में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16–10–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 22–09–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
48 / NTK	नाम दुरुस्ती	14–10–2025

डेकरो देवी पत्नी दिगती राम, निवासी हाल सिरमणी खास, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी पूर्ण चन्द ने इस अदालत में अपनी माता के नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया, परिवार नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी 2023–24 महाल सिरमणी खास इस आशय से गुजारा है कि राजस्व कागजात महाल सिरमणी खास में डेकरो देवी पत्नी दिगती दर्ज है जोकि सही न है, जबकि सही नाम ठाकरी देवी पत्नी दिगती है। इसलिए वह अपीन माता का नाम महाल सिरमणी खास के राजस्व रिकार्ड में डेकरो देवी उर्फ ठाकरी देवी पत्नी दिगती दर्ज कागजात करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि महाल सिरमणी खास में डेकरो देवी की बजाये डेकरो देवी उर्फ ठाकरी देवी पत्नी दिगती किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 16–10–2025 को आकर

अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 22—09—2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
46/NTK	नाम दुरुस्ती	14—10—2025

जगदीश राम पुत्र चुनी लाल, निवासी गांव वेही, डाकघर वेही पठियार, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी चेतन शर्मा पुत्र जगदीश राम पुत्र चुनी लाल, निवासी गांव वेही, डाकघर वेही पठियार, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया, परिवार नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी 2020—21 महाल वेही इस आशय से गुजारा है कि राजस्व कागजात महाल वेही में जगदीश दर्ज है जोकि सही न है। जबकि सही नाम जगदीश राम है। इसलिए वह अपना नाम महाल वेही के राजस्व रिकार्ड में जगदीश उर्फ जगदीश राम दर्ज कागजात करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि महाल वेही में जगदीश के बजाये जगदीश उर्फ जगदीश राम पुत्र चुनी लाल किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 14—10—2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18—09—2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH RAJ BHAVAN, SHIMLA

ORDER

Dated the 29th September, 2025

No. 42-2/78-GS.—In view of the superannuation of Dr. Naveen Kumar, Pr. Agronomist, Deptt. of Agronomy, CSK HPKV, Palampur, holding the additional charge of Vice-Chancellor of the CSK HPKV, Palampur and in exercise of powers conferred upon me by sub-section (5) of Section 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) as amended up to date, I, Shiv Pratap Shukla, Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur hereby direct Dr. A.K. Panda, Prof. (CAS) (Holding the charge of Vety. Public Health & Epidemiology, Dr. G.C. Negi COVS) to hold the charge of the post of Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur in addition to his own duties till further orders or till the new Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier, *w.e.f.* 01-10-2025.

The other terms and conditions of the service applicable to him will be as laid down in the Statute 3.1(1) of the Statutes of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.

By order

SHIV PRATAP SHUKLA,
Governor (Chancellor),
Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh
Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.

CHANGE OF NAME

I, Rahul Kumar s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bagehra Buhla, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) declare that my daughter's name is Kinjal and I want to add Dogra as her surname. In future her name may please be considered as Kinjal Dogra.

RAHUL KUMAR
s/o Sh. Dharam Chand,
r/o Village Bagehra Buhla, P.O. Bir Bagehra,
Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Purn Bahadur Gharti Magar s/o Sh. Bhim Bahadur, r/o Village Tikkri, Himri (11), Himri, Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Puran Bahadur (Old Name) to Purn Bahadur Gharti Magar (New Name). All concerned please may note.

PURN BAHADUR GHARTI MAGAR
s/o Sh.Bhim Bahadur,
r/o Village Tikkri,
Himri (11), Himri, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meena (New Name) d/o Sh. Deshraj, r/o Ghondna Deha, P.O. Deha, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Manju (Old Name) to Meena (New Name). All concerned please may note.

MEENA
d/o Sh. Deshraj,
r/o Ghondna Deha, P.O. Deha,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Aabha Gupta d/o Sh. Manoj Gupta, r/o H. No. 24, Housing Board Colony, Bhiuli Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare to correct my name as Aabha Gupta instead of Manvi Gupta in the FD of IDBI.

AABHA GUPTA
d/o Sh. Manoj Gupta,
r/o H. No. 24, Housing Board Colony,
Bhiuli Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bal Bahadur Karal (New Name) s/o Sh. Ram Bahadur, c/o Naveen, Village Manjholi, Bakhol (177), Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Baldev (Old Name) to Bal Bahadur Karal (New Name). All concerned please note.

BAL BAHADUR KARAL
s/o Sh. Ram Bahadur, c/o Naveen,
Village Manjholi, Bakhol (177), Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Yashoda w/o Sh. Surat Ram, r/o Village Karyali, P.O. Chikharh, Tehsil & District Shimla (H.P.) hereby declare that my name is Yashoda in all relevant documents except Aadhar Card in which it has been shown as Soda by mistake, this needs to be corrected as Yashoda.

YASHODA
w/o Sh. Surat Ram,
r/o Village Karyali, P.O. Chikharh,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sandeep Rawat s/o Sh. Kewal Ram, r/o Janahan (75), Deothibalson, Tehsil Theog, Shimla (H.P.)-171220 declare that I have changed my minor daughter's name from Vernonka (Old Name) to Vironika (New Name). All concerned please may note.

SANDEEP RAWAT
s/o Sh. Kewal Ram,
r/o Janahan (75), Deothibalson,
Tehsil Theog, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Uma Kumari w/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Ragar Rajputan, Tehsil Barsar, Ragar Rajputtan (31/28), District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Uma Kumari to Om Devi. All concerned please may note.

UMA KUMARI
w/o Sh. Dharam Singh,
r/o Village Ragar Rajputan, Tehsil Barsar,
Ragar Rajputtan (31/28), District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Boby s/o Sh. Mani Ram, r/o Ward No. 5 N.A.C., P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Bobby in my Aadhar Card No. 8157 8952 5848. Therefore it should be changed to Boby in my Aadhar Card . Note the relevant information.

BOBY
s/o Sh. Mani Ram,
r/o Ward No. 5 N.A.C.,
P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jamna Devi wd/o Service No. 2668339 Ex. Sepoy Late Sh. Nand Lal, r/o Village Benla Brahmana, P.O. Chandpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that my name in my husband's service record have been wrongly entered as Jamuna Devi whereas my correct name is Jamna Devi. Concerned note.

JAMNA DEVI
wd/o Late Sh. Nand Lal,
r/o Village Benla Brahmana, P.O. Chandpur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Kumar s/o Sh. Prem Singh, r/o Village Nasari, P.O. Summerkot, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Shayasha in her Aadhar Card No. 7207 9720 5092. Therefore it should be changed to Saysha Kulla in her Aadhar Card. Note the relevant information.

KULDEEP KUMAR
s/o Sh. Prem Singh,
r/o Village Nasari, P.O. Summerkot,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nirmala Shahi w/o Sh. Binod Singh, r/o Village Jara, P.O. Seema, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Sarita Thakur in my Aadhar Card No. 5105 6358 1376. Therefore it should be changed to Nirmala Shahi in my Aadhar Card. Note the relevant information.

NIRMALA SHAHI
w/o Sh. Binod Singh,
r/o Village Jara, P.O. Seema,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Apurva Pathak (Aadhar Card No. 5280 0740 1710), r/o Village Naina Chhadyar, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) hereby declare that my name is Apurva Pathak in all Government documents, but it has been incorrectly recorded as Apurba Pathak in the Aadhar Card. I request that the same be corrected.

APURVA PATHAK
r/o Village Naina Chhadyar,
P.O. Naina Tikkar,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Abhinash Chauhan s/o Late Sh. Gopal Chauhan, Ward No. 3, M.C. Rohru, P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Avinash Chauhan in my Aadhar Card No. 8521 9050 3010. Therefore it should be changed to Abhinash Chauhan. Note the relevant information.

ABHINASH CHAUHAN
s/o Late Sh. Gopal Chauhan
Ward No. 3, M.C. Rohru,
P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hem Lata w/o Sh. Vikas, r/o Village Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Parthvi Rithwan is wrongly mentioned as Baby in her Aadhar Card No. 2388 9908 4561. Therefore it should be changed to Parthvi Rithwan in her Aadhar Card. Note the relevant information.

HEM LATA
w/o Sh. Vikas,
r/o Village Diswani, P.O. Kaloti,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ajay Kumar s/o Late Sh. Ram Chander, r/o Village Gajyani, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Ajas Laktoo is wrongly mentioned as Kaka in his Aadhar Card No. 3504 7897 4945. Therefore it should be changed to Ajas Laktoo in his Aadhar Card. Note the relevant information.

AJAY KUMAR
s/o Late Sh. Ram Chander,
r/o Village Gajyani, P.O. Sindasli,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, जय देवी पत्नी श्री रमेश, निवासी गांव शिंगर, डा० जौनाजी, तहसील व जिला सोलन (हि०प्र०) घोषणा करती हूं की मेरा नाम आधार कार्ड में इंग्लिश में Jai Devi सही नाम है। परन्तु हिंदी में जया देवी गलत है। इसलिए मैंने अपना नाम Jai Devi / जै देवी रख लिया है। मैं आधार कार्ड में अपना नाम Jai Devi / जै देवी करवाना चाहती हूं। संबंधित नोट करें।

जय देवी
पत्नी श्री रमेश,
निवासी गांव शिंगर, डा० जौनाजी,
तहसील व जिला सोलन (हि०प्र०)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।